कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी. दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

क्रमांक/3067/ दन्तेवाड़ा, दिनांक 31/01/2019.

प्रति,

प्रबंधक वर्ग,
अरूणोदय पब्लिक स्कूल दन्तेवाड़ा
जिला– दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 18 के प्रयोजनों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक 10/01/2019 के संदर्भ में और उस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त मैं अरूणोदय पब्लिक स्कूल दन्तेवाड़ा (विद्यालय का नाम पता सहित) को वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 1ली से 9वी के लिए अनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्रलिखित शर्तो की पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 9वीं के पचात् मान्यता/संबंद्धन करने के लिए काई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा से) उस कक्षा में बच्चों की संख्या 25% प्रतिशत तक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करेगा। परन्तु यह ओर भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12(2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधयधीन नही करेगा।
6. विशलय किसी बच्चे को उनके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय सुनिश्चित करेगा किः–

क. प्रवेशित किसी बच्चे को विद्यालय मकं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही जायेगा।

ख. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

ग. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जावेगी।

घ. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

ARUNODAYA PUBLIC SCHOOL AFF. NO. 3330366

DISE CODE 22181220 2324 Dist. Dantewada (C.G.)

Principal
Arunodaya Publi School
Dantewada (C.)
Pin code 494449

ङ. अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

च. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) में अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी के विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतक अर्हताएँ नही है। पॉच वर्ष अवधि के भीतर एंसी न्यूनतम योग्यताएँ अर्जित करेंगे।

छ. अध्यापक अधिनियम के धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगें।

ण. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेगा।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम के धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है।
   - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
   - कुल निर्माण की क्षेत्रफल
   - खेल का मैदान का क्षेत्रफल
   - अध्यापन कक्षाओं की संख्या
   - प्रधान पाठक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार हेतु कक्ष
   - बालकों अैर बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
   - पेयजल सुविधा
   - मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई
   - बाधारहित पहुंचे
   - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद के उपकरणों/पुस्कालय उपलब्धता
9. विद्यालय परिसर के भीतर या उनके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएँ नही चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन अधिनियम 19951 की धारा 4 के तहत बिना किसी लिंग भेद के मानव जाति के विकास एवं कल्याण हेतु रेजिट्रिकृत किसी ट्रस्ट द्वारा या किसी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी तैयक्तिक, व्यक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखों के किसी चार्ट एकाउन्टन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक .... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट व सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता प्राप्त संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चि करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाए।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चि किया जाये
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

Chairman
Anukoolaya Public School,
Dantewada (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला द.ब. दन्तेवाड़ा (छ.ग.)